न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा **R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/2024 दायर तारीख :– 04.09.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0 रेनवाल ।

प्रार्थी

बनाम

2. रामेश्वर पुत्र मालीराम
3. बनवारी पुत्र मालीराम
4. जगदीश पुत्र मालीराम
   समस्त जाति जाट निवासी मूण्डली रणजीतपुरा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 86 के तहत

उपस्थित :– श्री मुकेश कुमार बगडिया , अधिवक्ता अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 29/9/25

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार से है कि सुखाराम पुत्र भोमाराम निवासी गुमानी वाली ढाणी में एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कि0 रेनवाल को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रामेश्वर, बनवारी,जगदीश पुत्र श्री मालीराम ताकर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 416,417,418 वाके ग्राम मूण्डली में हरे पेड़ो की कटाई की गई। तहसीलदार कि0 रेनवाल द्वारा हल्का पटवारी मूण्डली रणजीतपुरा द्वारा प्रकरण में जाँच रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी द्वारा जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2024 प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त खसरा नम्बर में पांच पेड समूल उखाडे गए है। जिनमें तीन पेड खेजड़ी , एक नीम व एक बबूल का पाया गया। इस सूचना पर तहसीलदार कि0 रेनवाल द्वारा उक्त पेड़ो को जब्त कर कब्जे राज लिया गया। अन्त में प्रार्थी तहसीलदार कि0 रेनवाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि जब्तशुद्धा लकड़ियों को नीलाम किया अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाए।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रा0पत्र में अप्रार्थीगण में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार रखते हुए कथन किया की सुखाराम द्वारा अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है तथा प्रत्येक कृत्य हेतु सभी खातेदार समान रूप से जिम्मेदार होते है। बावजूद इसके प्रार्थी तहसीलदार महोदय द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में कुछ हरे व सूखे पेड़, आंधी व तूफान आने से उखड़ चुके है। जिससे फसल खराब हो रही है इसलिए उन्हे हटाया जाना आराजीयात में बोयी जाने वाली फसल के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति भी न्याय हित में आवश्यक नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा0 पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायहित में खारिज फरमाया जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जब्तशुद्धा लकड़ियों को नीलाम किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही का निवेदन किया । अप्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

4. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.03.2024 खसरा नम्बर 416,417,418 में पाँच पेड़ समूल उखाडे गए है जिनमें तीन पेड खेजड़ी , एक नीम तथा एक बबूल का पाया गया है।

5. किसी व्यक्ति द्वारा हरे पेड़ों के काटने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अध्याय–08 में प्रावधान बनाए गए। अतः अध्याय–08 की धारा 83 का उद्धरण यहा प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः–

83. Trees not removable except as provided— Notwithstanding anything to the contrary in any law custom or-contract no trees standing on occupied or unoccupied land shall be removable therefrom except as provided in section 84.

6. प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.03.2024 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी तथा अन्य खातेदारों की आराजी में से बिना उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटा दिये। उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत दण्डात्मक प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है–

86. Penalties for unlawful removal— Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable by an Assistant Collector on an application or a report made to him
(a) in the case of a first contravention:
(i) where a tree has been removed, with fine which may extend to <u>one hundred rupees for each tree</u> that has been removed; and
(ii) in other case, with fine which may extend to <u>one hundred rupees</u>; and
(b) in the case of a second or subsequent contravention, with fine which may extend to <u>double the amount of fine that can be imposed under clause (a),</u> and <u>any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.</u>

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकार हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये प्रथम बार के अपराध में अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा द्वितीय बार के अपराध में प्रत्येक वृक्ष के लिये अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार हटाये गये वृक्ष या लकडी को राज्य सरकार के कब्जे राज लेने के प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

प्रावधान के आलोक में साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–83 सपठित धारा–84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में अप्रार्थी द्वारा हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये 100 रूपये प्रति वृक्ष का जुर्माना वसूलने तथा जब्त लकडी को नीलाम कर राशि को राज्य सरकार के पेटे जमा कराने के आदेश तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को दिये जाते हैं।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ-रेनवाल